

अभियंता प्रमुख का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

संवेदक Jitendra Kumar, Regd. No- 1200030, At- Vill-Chandauti, Ps-Chandauti, Dist- Gaya को कार्य प्रमंडल, ईमामगंज के अधीन योजनाशीर्ष PMGSY-II अंतर्गत T03 **Dumrawan More to NH via Tillaiya Delho (Package No-BR-12-P2R-03)** कार्य आवंटित था जिसका एकरारनामा संख्या-10MBD/PMGSY Ph-II/2020-21 है।

निविदा में कार्यानुभव प्रमाण पत्र एवं Turnover से संबंधित गलत कागजात समर्पित करने के कारण कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ईमामगंज के पत्रांक-759 दिनांक-30.07.2020 द्वारा संवेदक/निविदाकार से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी किन्तु संवेदक द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। प्रतिउत्तर अप्राप्त रहने के कारण मुख्य अभियंता-1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3660 दिनांक-13.08.2020 द्वारा संवेदक को कालीसूची में दर्ज करने के अनुशंसा के आलोक में सकारण आदेश संख्या-2786 दिनांक-20.08.2020 द्वारा संवेदक Jitendra Kumar, (निबंधन सं-1200030) को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली के कंडिका 11(क) की उपकंडिका (ix) के तहत 10(दस) वर्षों के लिए Blacklist किया गया। उक्त सकारण आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में CWJC No-14044/2021 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक-03.05.2023 को अंतरिम आदेश पारित किया गया जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

In the light of these facts and circumstances, the petitioner has made out a case accordingly, Annexure-R/H dated -30.07.2020 is set aside. Reserving liberty to the concerned respondent to initiate appropriate proceedings if it is warranted.

Such proceeding, if any, shall be completed within a period of four months from the date of receipt of this order. The concerned authority is hereby directed to take note of judicial pronouncements cited in the present order before proceeding further, if any.

Accordingly, the present writ petition stands allowed.

माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना, बिहार द्वारा CWJC No-14044/2021 दिनांक-03.05.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में संवेदक/निविदाकार Jitendra Kumar, At-Vill-Chandauti, Ps-Chandauti, Dist- Gaya के निबंधन संख्या-1200030 को कालीकृत किये जाने के पूर्व कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ईमामगंज के पत्रांक-759 दिनांक-30.07.2020 द्वारा स्पष्टीकरण हेतु की गई पृच्छा एवं विभागीय सकारण संख्या-2786 दिनांक-20.08.2020 द्वारा निर्गत कालीकरण आदेश को एतद् सकारण आदेश द्वारा निरस्त किया जाता है।

(श्रीप्रकाश)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-02-10/2022 - 3144 /पटना, दिनांक:- 30/9/2024
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन
निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार,
पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार,
पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन
विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस
भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-02-10/2022 - 3144 /पटना, दिनांक:- 30/9/2024
प्रतिलिपि:-सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-02-10/2022 - 3144 /पटना, दिनांक:- 30/9/2024
प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-02-10/2022 - 3144 /पटना, दिनांक:- 30/9/2024
प्रतिलिपि:- संवेदक Jitendra Kumar, S/o Kuldeep yadav, Regd. No- 1200030, At-
Vill-Chandauti, Ps-Chandauti, Dist- Gya को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख